रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235893
CG-DL-E-19052022-235893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944
No. 129]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 19 मई, 2022

सं. टी-17019/7/2019-ईई.—पुरातात्विक अनुसंधानों संबंधी कार्यों में संलग्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ तथा पुरातात्विक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से सम्बंधित अध्ययन कर रहीं तथा भावी पुरातत्विदों को प्रशिक्षित कर रहीं अन्य संस्थाओं के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के घनिष्ठ संपर्कों को प्रोत्साहित करने की तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकलापों के साथ भारत की विद्वत सोसाइटियों तथा राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदान करने की दृष्टि से, राष्ट्रपति, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, उसके निम्नलिखित संरचना तथा कार्यों के साथ, इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए करते है :-

संरचना

अध्यक्ष

1. संस्कृति मंत्री, भारत सरकार

सदस्य

2. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय
3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
4. अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सम्बंधित)

6. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

7. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

8. सम्बंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव या निदेशक (पुरातत्व) या उनके नामिति

9. संसद के तीन सदस्य, लोक सभा से दो सदस्य तथा राज्य सभा से एक (सम्बंधित सचिवालयों द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना है)

10. अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन/एशियाटिक सोसाइटी/भारतीय पुरातत्व सोसाइटी का एक नामजद व्यक्ति

11. भारत सरकार द्वारा नामित भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के श्रेणी के भारत के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि

12. पुरातत्त्वीय अध्ययनों में रूचि रखने वाले दो वैज्ञानिक

13. भारत सरकार द्वारा उनकी व्यैक्तिक क्षमता में नामित पांच व्यक्ति

14. सिन्धु घाटी लिपि के विशेषज्ञ

15. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक

सदस्य सचिव

16. संयुक्त महानिदेशक/निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

बोर्ड के लिए चुने जाने वाले संसद सदस्यों का कार्यकाल सदन की सदस्यता के उनके कार्यकाल तक सिमित होगा, जिसमें उन्हें चुना गया है।

बोर्ड की बैठक वर्ष में एक बार होगी, बैठक की तिथि एवं स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कार्य:

यह बोर्ड, इसके सदस्यों द्वारा भेजे गए भारत में पुरातत्व संबंधी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगा । यह सरकार के विचारार्थ ऐसे मामलों में सुझाव भी दे सकता है । बोर्ड, जब कभी आवश्यक होगा, अपने सम्मुख विशिष्ट मुद्दों की जाँच करने एवं उन पर रिपोर्ट देने के लिए उप-समितियां गठित कर सकता है।

राष्ट्रपति सहर्ष यह आदेश करते हैं कि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित संरचना एवं कार्यों के लिए स्थायी समिति गठित करेगा ।

संरचना

अध्यक्ष एवं संयोजक

1. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

सदस्य

2. बोर्ड के पांच सदस्यों का चुनाव बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा ।

कार्य

सामान्यतया यह स्थायी समिति इस बोर्ड को देश में पुरातत्वीय निष्पादन के उन्नयन में सलाह देगी एवं इसे भेजी गई सभी रिपोर्टों एवं मदों पर विचार करेगी और बोर्ड की बैठक की कार्य सूची पर अपने विचार वयक्त करने के साथ-साथ सरकार अथवा समिति के अध्यक्ष के ऐसे कार्य करेगी जो इसे सौंपे गए हों। यह, जब कभी आवयशक होगा, सहयोजित करने के अधिकार के साथ उपसमितियां गठित कर सकती है। इसकी बैठकें वर्ष में दो बार से अधिक नहीं होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को संकल्प की प्रति भेजी जाये ।

विद्यावती वैद्यनाथन, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 19th May, 2022

No. T-17019/7/2019-EE.—With a view to promoting closer contacts of the Archaeological Survey of India with Indian Universities conducting Archaeological Researches and other Institutions carrying out studies related to application of archaeological principles, training future Archaeologists, and providing for closer association of learned societies in India and of the State Governments with the activities of the Archaeological Survey of India, the President is pleased to reconstitute the Central Advisory Board of Archaeology for a period of three years from the date of publication with the following composition and functions:

COMPOSITION:

Chairperson

1. Minister of Culture, Government of India

Members

2. Secretary to the Government of India, Ministry of Culture
3. Director General, Archaeological Survey of India
4. Additional Director General, Archaeological Survey of India
5. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Culture (dealing with ASI)
6. Chairman, University Grant Commission, New Delhi
7. Director General, National Museum, New Delhi
8. Secretary or Director (Archaeology) or their nominee of the State Government/ Union Territories concerned
9. Three members of Parliament, two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha (to be notified separately by the respective Secretariats)
10. Nominee of All India Oriental Conference/ Asiatic Society/ Indian Archaeological Society
11. Representatives of the Universities and Academic Institutions of India of the Rank of University Professor of Indian History, Culture and Archaeology nominated by the Government of India
12. Two Scientists having interest in archaeological studies
13. Five persons nominated in their personal capacities by the Government of India
14. Experts of Indus Valley Script
15. Former Director Generals of Archaeological Survey of India

Member Secretary

16. Joint Director General/ Director (Exploration & Excavation), Archaeological Survey of India

The tenure of the Members of Parliament elected to be members of the Board shall be limited to the tenure of their Membership of the House which elected them.

The Board shall meet once in a year, the dates and venue of the meeting to be decided by the Chairperson.

FUNCTIONS

The Board shall advise the Government of India on matters relating to Archaeology in India referred to it by its members. It may also make suggestions on such matters for the consideration of the Government. The Board may set up Sub-Committees, as and when necessary, to examine and report on specific issues before it.

The President is also pleased to order that the Central Advisory Board of Archaeology shall set up a Standing Committee with the following Composition and Functions.

COMPOSITION:

CHAIRPERSON and CONVENOR

1. Director General, Archaeological Survey of India.

MEMBERS

2. Five members to be elected by the members of the Board from amongst themselves.

FUNCTIONS:

The Standing Committee shall advise this board generally on the promotion of Archaeological Pursuance in the country, consider all reports and items referred to it and express its views on the agenda for the Board's meeting and perform such other functions as the Government or the Chairman of the Committee may assign to it. It may set up Sub-Committees as and when necessary with power to co-opt. It may meet not more than twice a year.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

VIDYAVATHI VAIDYANATHAN, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.05.19 23:05:45 +05'30'